संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 05/10/2020

क्रमांक 4123 /टीसी/ 11/TC/उपां/नग्रानि/2020 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक,नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना, 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.		5.	6.
			कुल रकबा	में से रकबा		
1.	कानासैया	40	24.330	15.150	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		51	7.340	5.084		
			कुल योग:-	20.234 हेक्टेयर		

नोट - *प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित* वर्तमान बायपास मार्ग *की चौडाई 66.00 मीटर प्रस्तावित है। अतः **वर्तमान मार्ग के मध्य से 33.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना होगी।***

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जावेगा।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह-संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल